

# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 75/2017

दायर दिनांक: 25/05/2017

## उनवान

1. रामकन्या आयु 41 वर्ष पत्नी गिरधारी जाति मेहर निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादी

## बनाम

1. छीतरलाल आयु 65 वर्ष पुत्र ओंकार
2. नन्दलाल आयु 32 वर्ष पुत्र मोहनलाल
3. महेन्द्र आयु 28 वर्ष पुत्र मोहनलाल
4. नटीबाई आयु 60 वर्ष बेवा मोहनलाल जातियान मेघवाल निवासीगण गड्ड्या मंदिर के पास कांसो का मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।
5. गोविन्द लाल आयु 72 वर्ष पुत्र हीरा (मृतक)  
5/1 रामनारायण पुत्र स्व० श्री गोविन्दलाल  
5/2 कन्हैयालाल पुत्र स्व० गोविन्दलाल  
5/3 हजारी बाई पुत्री स्व० गोविन्दलाल  
5/4 द्वारका बाई पुत्री स्व० गोविन्दलाल जातियान मेघवाल निवासीगण नई टंकी के पास नागादेव मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।
6. गोरधन आयु 64 वर्ष पुत्र हीरा।
7. गोपाल आयु 62 वर्ष पुत्र हीरा जातियान मेघवाल निवासीगण नई पानी की टंकी के पास नागादेव मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज०।
8. नन्दकंवर बाई आयु 45 वर्ष पत्नी राधाकिशन जाति मेघवाल निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राज०।
9. केला आयु 72 वर्ष पुत्री हीरा पत्नी नन्दलाल जाति मेघवाल निवासी कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां राज०।
10. हेमराज आयु 28 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासी छेलाबेल तहसील अटरू जिला बारां राज०।
11. ओमप्रकाश आयु 46 वर्ष पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी मवासा थाना कवाई जिला बारां राज०।
12. घांसीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र काल्या जाति मेघवाल निवासी अटरू तहसील अटरू।



13. जगन्नाथ आयु 50 वर्ष पुत्र लटूरलाल जाति मेघवाल निवासी कंचनपुरा कवाई के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
14. हेमराज आयु 50 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति मेघवाल निवासी अटरू।
15. जमनालाल आयु 70 वर्ष पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी नागादेव मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
16. कस्तूरचन्द पुत्र चन्दाराम जाति मेघवाल निवासी जिरोद तहसील अटरू।
17. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 53 आर.टी.एक्ट**

उपस्थिति :-

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

आदेश

दिनांक : 18.11.2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 15.05.2019 की पालना में तहसीलदार अटरू से विभाजन प्रस्ताव चाहा गया जिसकी पालना में तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2020/202 दिनांक 18.03.2020 से विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिससे उभयपक्षकारान सहमत है।

अतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम निर्णय किया जाकर विवादित आराजी ग्राम एवं माल बेडक्या की खाता संख्या 35 का ख0नं0 474 का रकबा 0.01 है0 ख0नं0 475 का रकबा 1.34 है0, ख0नं0 476 का रकबा 1.45 है0, ख0नं0 477 का रकबा 0.08 है0, कुल कित्ता 4 का रकबा 2.88 है0 में रामकन्या पत्नि गिरधारी जाति मेहर का 7/30 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है, मुताबिक डिक्री रामकन्या पत्नी गिरधारी जाति मेहर का विभाजन प्रस्ताव वादिया के कब्जे वाली भूमि ख0नं0 475 रकबा 1.34 है0 में से 0.67 है0 भूमि वादिया के नाम दर्ज है। जिसका पक्षकारान के मध्य विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. वादिया रामकन्या पत्नि गिरधारी जाति मेहर के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
475 पश्चिम दिशा	0.67	चाही 2	21.44
कित्ता 1	0.67	चाही 2	21.44

2. प्रतिवादीगण छीतरलाल पुत्र ओंकार 36/221, नटीबाई पत्नि मोहनलाल 41/221, काल्या पुत्र मूल्या 12/221, कमला पुत्री मूल्या 12/221, सुन्दर पुत्री गिरधारी 8/221,

नन्दलाल पुत्र मोहनलाल 36/221, महेन्द्र प्रताप पुत्र मोहनलाल 36/221 गोविन्दलाल पुत्र हीरा 24/1547, गोरधन पुत्र हीरा 24/1547, गोपाल पुत्र हीरा 24/1547, गोविन्दी पुत्री हीरा 24/1547, शंकरी पुत्री हीरा 24/1547, केला पुत्री हीरा 24/1547, दूरा पुत्री हीरा 24/1547, जानकीलाल पुत्र गिरधारी 8/221, जमनालाल पुत्र गिरधारी 8/221 जाति मेघवाल सा0 देह के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
474	0.01	गै0मु0चाह	—
475	0.67	चाही 2	21.44
476	1.45	माल 1	17.40
477	0.08	माल 2	0.96
किता 4	2.21		39.80

उपरोक्तानुसार वादिया/प्रतिवादीगण का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादिया/प्रतिवादीगण के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावें। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां

फाइनल डिफ्री मुकदमा इब्ददाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 75/2017

उनवान

1. रामकन्या आयु 41 वर्ष पत्नी गिरधारी जाति मेहर निवासी अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।

वादी

बनाम

1. छीतरलाल आयु 65 वर्ष पुत्र ओंकार
2. नन्दलाल आयु 32 वर्ष पुत्र मोहनलाल
3. महेन्द्र आयु 28 वर्ष पुत्र मोहनलाल
4. नटीबाई आयु 60 वर्ष बेवा मोहनलाल जातियान मेघवाल निवासीगण गड्या मंदिर के पास कांसो का मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।
5. गोविन्द लाल आयु 72 वर्ष पुत्र हीरा (मृतक)  
5/1 रामनारायण पुत्र स्व0 श्री गोविन्दलाल  
5/2 कन्हैयालाल पुत्र स्व0 गोविन्दलाल  
5/3 हजारी बाई पुत्री स्व0 गोविन्दलाल  
5/4 द्वारका बाई पुत्री स्व0 गोविन्दलाल जातियान मेघवाल निवासीगण नई टंकी के पास नागादेव मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।
6. गोरधन आयु 64 वर्ष पुत्र हीरा ।
7. गोपाल आयु 62 वर्ष पुत्र हीरा जातियान मेघवाल निवासीगण नई पानी की टंकी के पास नागादेव मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।
8. नन्दकंवर बाई आयु 45 वर्ष पत्नी राधाकिशन जाति मेघवाल निवासी कमोलर तहसील सांगोद जिला कोटा राज0 ।
9. केला आयु 72 वर्ष पुत्री हीरा पत्नी नन्दलाल जाति मेघवाल निवासी कलमण्डा तहसील बारां जिला बारां राज0 ।
10. हेमराज आयु 28 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति मेघवाल निवासी छेलाबेल तहसील अटरू जिला बारां राज0 ।
11. ओमप्रकाश आयु 46 वर्ष पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी मवासा थाना कवाई जिला बारां राज0 ।
12. घांसीलाल आयु 55 वर्ष पुत्र काल्या जाति मेघवाल निवासी अटरू तहसील अटरू ।

13. जगन्नाथ आयु 50 वर्ष पुत्र लटूरलाल जाति मेघवाल निवासी कंचनपुरा कवाई के पास अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
14. हेमराज आयु 50 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति मेघवाल निवासी अटरू।
15. जमनालाल आयु 70 वर्ष पुत्र गिरधारी जाति मेघवाल निवासी नागादेव मोहल्ला अटरू तहसील अटरू जिला बारां राज0।
16. कस्तूरचन्द पुत्र चन्दाराम जाति मेघवाल निवासी जिरोद तहसील अटरू।
17. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 53 आर.टी.एक्ट**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रुबरू.....X.....

**बहाजिर :-**

वादी:- विद्वान अभिभाषक श्री विनोद प्रताप सिंह।

मिनजानित मुदई रुबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल बेडक्या की खाता संख्या 35 का ख0नं0 474 का रकबा 0.01 है0 ख0नं0 475 का रकबा 1.34 है0, ख0नं0 476 का रकबा 1.45 है0, ख0नं0 477 का रकबा 0.08 है0, कुल कित्ता 4 का रकबा 2.88 है0 में रामकन्या पत्नि गिरधारी जाति मेहर का 7/30 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है, मुताबिक डिक्री रामकन्या पत्नी गिरधारी जाति मेहर का विभाजन प्रस्ताव वादिया के कब्जे वाली भूमि ख0नं0 475 रकबा 1.34 है0 में से 0.67 है0 भूमि वादिया के नाम दर्ज है। जिसका पक्षकारान के मध्य विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

3. वादिया रामकन्या पत्नि गिरधारी जाति मेहर के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
475 पश्चिम दिशा	0.67	चाही 2	21.44
कित्ता 1	0.67	चाही 2	21.44

4. प्रतिवादीगण छीतरलाल पुत्र ओंकार 36/221, नटीबाई पत्नि मोहनलाल 41/221, काल्या पुत्र मूल्या 12/221, कमला पुत्री मूल्या 12/221, सुन्दर पुत्री गिरधारी 8/221, नन्दलाल पुत्र मोहनलाल 36/221, महेन्द्र प्रताप पुत्र मोहनलाल 36/221 गोविन्दलाल पुत्र हीरा 24/1547, गोरधन पुत्र हीरा 24/1547, गोपाल पुत्र हीरा 24/1547, गोविन्दी पुत्री हीरा 24/1547, शंकरी पुत्री हीरा 24/1547, केला पुत्री हीरा 24/1547, दूरा पुत्री

हीरा 24/1547, जानकीलाल पुत्र गिरधारी 8/221, जमनालाल पुत्र गिरधारी 8/221 जाति मेघवाल सा0 देह के खाते में निम्न आराजी रहेगी।

ख0नं0	रकबा	किस्म	लगान
474	0.01	गै0मु0चाह	—
475	0.67	चाही 2	21.44
476	1.45	माल 1	17.40
477	0.08	माल 2	0.96
कित्ता 4	2.21		39.80

उपरोक्तानुसार वादिया/प्रतिवादीगण का हिस्सा पृथक-पृथक किया जाता है। तहसीलदार अटरू को आदेश दिये जाते हैं कि वादिया/प्रतिवादीगण के उपरोक्त विभाजन अनुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक-पृथक भूमि का इन्द्राज किया जावे। फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

(दिनेश कुमार मीणा)

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 18.11.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी  
अटरू जिला बारां (राज0)